फाइल नं0-71-3002(002)/37/2024-03

27/2025/I/886870/2025

प्रेषक,

चन्द्र शेखर मिश्र,
उप सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-3 लखनऊ : दिनॉक 20 फरवरी, 2025

विषयः- वित्तीय वर्ष 2024-25 में राजकीय मेडिकल कालेज, गोरखपुर में ट्रामा सेन्टर लेवल-02 को ट्रामा सेन्टर लेवल-01 (100 बेडेड) में परिवर्तित कर स्थापित किये जाने हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-एमई/निर्माण/2024-25/348, दिनॉक 23.12.2024 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय मेडिकल कालेज, गोरखपुर में ट्रामा सेन्टर लेवल-02 को ट्रामा सेन्टर लेवल-01 (100 बेडेड) में परिवर्तित कर स्थापित किये जाने हेतु व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित लागत रू0 3801.50 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत पूंजीलेखा पक्ष में 4210-03-105-91-राजकीय मेडिकल कालेजों में ट्रामा सेन्टर-।। को ट्रामा सेन्टर लेवल-। में परिवर्तित किये जाने हेतु मानक मद-24- वृहद निर्माण कार्य में प्राविधानित धनराशि रू0 30000.00 लाख के सापेक्ष रू0 1330.52 लाख (रू0 तेरह करोड़ तीस लाख बावन हजार मात्र) की धनराशि प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त किये जाने की राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(1) वित्त विभाग के शासनादेश सं0-10/2021/बी-2-96/दस-2021-10/99 दिनांक 22 मार्च, 2021 के अनुसार अनुमोदित प्रायोजना की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के उपरान्त इसकी डी०पी०आर० गठित करने के उपरान्त ही तकनीकी स्वीकृति निर्गत की जाय। यदि इस प्रक्रिया में यह परिलक्षित होता है की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष तकनीकी स्वीकृति की लागत 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हो रही है, तो प्रायोजना का पुनरीक्षित आगणन का गठन करते हुए 3 माह के भीतर पुनरीक्षित आगणन पर व्यय वित्त समिति का अनुमोदन प्राप्त किया जाय, अन्यथा की स्थिति में पुनरीक्षित प्रायोजना पर व्यय वित्त समिति द्वारा विचार नहीं किया जायेगा।

(2) प्रायोजना प्रस्ताव में सी०सी०टी०वी०, सोलर फोटो वोल्टेएक पावर सिस्टम, यू०पी०एस० सिस्टम, लेन सिस्टम, ई०पी०बी०एक्स सिस्टम एवं माडुलर ओ०टी० आदि की लागत लोक निर्माण विभाग की कुर्सी क्षेत्रफल दरोंकोटेशन के आधार पर प्रस्तावित की गयी हैं। उक्त कार्यों की/ प्रस्तावित दरों को इंडीकेटिव दरें मानते हुए लागत का परीक्षण किया गया है। क्रियान्वयन से पूर्व कार्यदायी संस्था इस हेतु निर्माताओं से प्रतिस्पर्धा के आधार पर लागत दरें प्राप्त करें। प्रधानाचार्यकार्यदायी/ संस्था द्वारा निर्माण के समय इनका क्रय एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर सुनिश्चित कराया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(3) दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग के शासनादेश सं0-5/2021/File No 65-2013/2/2019-2 दिनांक 15.01.2021 के अनुपालन के कम में दिव्यांगजन हेतु भवनों को दिव्यांगजन हितैषी/बाधारहित बनाये जाने के लिए भारत सरकार द्वारा निर्गत Harmonized guidelines and standards for universal accessibility in india, 2021" दिये गये प्रावधानों के अनुसार प्रधानाचार्य/कार्यदायी संस्था द्वारा भवन का निर्माण कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(4) **प्रायोजनान्तर्गत वाह्य विद्युत संयोजन हेतु एकमुश्त रू0 20.00 लाख का प्रावधान किया गया है। इस सम्बन्ध में उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० से विस्तृत लागत आगणन प्राप्त कर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करते हुए उक्त मदों का वास्तविकता के आधार पर भुगतान किया जाय।**

(5) प्रायोजनान्तर्गत 18 प्रतिशत की दर से जी०एस०टी० की धनराशि अनुमन्य कर दी गयी है। प्रधानाचार्य/कार्यदायी संस्था द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित किया जाय कि प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न कार्यमदों में जी०एस०टी० अलग से सम्मिलित न हो।

(6) **प्रायोजना का निर्माण कार्य एन०एम०सी० मानकों के अनुरूप कराये जाने का उत्तरदायित्व प्रधानाचार्य/कार्यदायी संस्था का होगा।**

(7) प्रधानाचार्य/कार्यदायी संस्था द्वारा नियमानुसार समस्त यथा आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाये।

(8) **प्रायोजना का निर्माण कार्य निर्धारित अविधि में ससमय पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाय, जिससे टाईम ओवर रन एवं कास्ट ओवर रन की स्थिति उत्पन्न न हो।**

(9) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं को यथावत मानते हुए मात्र दरों का परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/प्रधानाचार्य का होगा।

(10) प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही निर्माण प्रारम्भ कराया जाये।

(11) प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्रावधानों को यथावत् मानते हुए लागत का आंकलन किया गया है, जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे-नये कार्य बढ़ाना एवं अन्य उच्च विशिष्टियों इस्तेमाल करना इत्यादि, व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

(12) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डूप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व प्रधानाचार्य द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(13) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 04 मार्च, 2024 यथासंशोधित में दी गयी व्यवस्था का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(14) कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी प्रधानाचार्य/कार्यदायी संस्था की होगी।

(15) प्रधानाचार्य द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

(16) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।

(17) प्रधानाचार्य यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(18) अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को डाक घर/बैंक खाते आदि में नहीं रखा जायेगा।

(19) कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेंटेज चार्ज दिया जायेगा।

(20) आगणन में वर्णित लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन अनुमन्य होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 13,30,52,000 (रुपये तेरह करोड़ तीस लाख बावन हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या- 031 **लेखा शीर्षक** 42100310591 राजकीय मेडिकल कालेजों में ट्रामा सेन्टर-।। को ट्रामा सेन्टर लेवल-। में परिवर्तित किया जाना **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या ई-3-377/दस-2024-25, दिनांक 19 फरवरी, 2025 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय

(चन्द्र शेखर मिश्र)
उप सचिव।

संख्याः- उपरोक्त, तद्यदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, गोरखपुर।
3- वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, राजकीय मेडिकल कालेज, गोरखपुर।
5- वरिष्ठ कोषाधिकारी, गोरखपुर।
6- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, लखनऊ।
7- नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
8- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(चन्द्र शेखर मिश्र)
उप सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।